उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-218/2019/4387/26-3-2019
लखनऊः दिनांकः अक्टूबर, 2019

शुद्धि पत्र

मा0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, उ0प्र0लखनऊ में विचाराधीन प्रकरण कु0 जागृति छात्रा फार्मेसी कालेज, चण्डेश्वर आजमगढ़ की वर्ष 2014-15 हेतु छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि रू0-60460/-(रूपये साठ हजार चार सौ साठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति शासनादेश संख्या-213/2019/ 4195/26-3-2019, दिनांक-03.10.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी, किन्तु उक्त शासनादेश दिनांक-03.10.2019 में त्रुटिवश वर्ष 2014-15 के स्थान पर 2013-14 अंकित हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश दिनांक-03.10.2019 में वर्ष 2013-14 के स्थान पर वर्ष 2014-15 पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या-213/2019/4195/26-3-2019, दिनांक-03.10.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-218/2019/4387(1)/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in